सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 91/14 **निर्णय दिनांकः–05.07.2019**

1. करतार सिंह पुत्र गुरूदयाल सिंह जाति बावरी निवासी चक 4 केएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21–06–2011
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनिया,, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–06–2011 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि चक 4 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 171/35 के किला नम्बर अपीलांट की खातेदारी भूमि है। मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस पर किसी प्रकार का कोई अवैद्य खनन नहीं किया जा रहा है। परीक्षण न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों की जॉच किये अपीलांट की खातेदारी भूमि को सिवाय चक किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटस की खातेदारी भूमि चक 4 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 171/35 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि निहित है। जिसे महज पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दी गयी। अपीलांट ने कभी भी अपनी खातेदारी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। जिसमें किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व धारा 177(4) के प्रावधानों की पालना नहीं की है। जो बाध्यकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में ना तो तनकी कायम की ना ही साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा धारा 175 व 177 का प्रस्तुत किया जबकि दावा दावे की श्रेणी में नहीं आता है क्योकि इस दावे में ना तो सत्यपान है तथा दावा दो कॉपी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वाद की प्रक्रिया के विरुद्व पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट् को कोई नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत का उक्त कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। जबकि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया है। अपीलांट् द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर कभी भी खनन का कार्य नहीं किया गया है ना ही मौके पर किसी प्रकार का कोई खनन कार्य किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही विधि के विरूद्व की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि प्रकरण में पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् जो रिपोर्ट तैयार की गई है उक्त

रिपोर्ट कब तैयार की गई व किसकी उपस्थिति में तैयार की गई है इसका कहीं उल्लेख नहीं है ना ही उक्त रिपोर्ट पर किसी गवाह आदि के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अपने आप में संदेहास्पद है। अदालत मातहत द्वारा भी आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के बाबत् संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाते हुए वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते। अदालत मातहत द्वारा मात्र पटवारी की रिपोर्ट को ही सही मानते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् की खातेदारी भूमि सिवाय चक धोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं जो स्पष्ट रूप से विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत व अपीलांट के जायज हक व हकों पर कुठाराधात है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में अवैध रूप से खनन कार्य किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 175, 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। अपीलांट ने खातेदारी कृषि भूमि में अवैध रूप से खनन कार्य किया है जो अवैधानिक कृत्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, खाजुवाला द्वारा दिनांक 14—11—2007 को टीनेन्सी एक्ट की धारा 175, 177 के तहत वाद पेश किया तथा खातेदारों द्वारा अवैद्य खनन का अनुतोष मांगा गया। वादपत्र के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चक 4 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 171/35 के किला नम्बर 16 ता 18, 22 ता 25 में अवैध खनन करने का उल्लेख

किया गया है। पटवारी, भू—अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार, खाजुवाला द्वारा संयुक्त रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें ''अवैद्य खनन पूर्व में पाया गया, परन्तु वर्तमान में उक्त रकबें पर अवैद्य खनन का कार्य नहीं हो रहा है'' की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

वादग्रस्त भूमि के खातेदार द्वारा अवैद्य खनन नहीं करने के संबंध में साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया, परन्तु साक्ष्य पेश नहीं करने पर वाद स्वीकार करते हुए खातेदारी अधिकार समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये गये। प्रकरण में तहसीलदार ने विवादित भूमि की मौके की रिपोर्ट तैयार किये बिना तथा खनन के संबंध में भूराजस्व अधिनियम के तहत खातेदार के विरूद्व कार्यवाही करने के वकैल्पिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही किये बिना सीधे ही टीनेन्सी एक्ट की धारा 177 के तहत वाद प्रस्तुत कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी ने भी धारा 177 के प्रावधानों पर विचार किये बिना सीधे ही खातेदारी समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये गये। जबकि टीनेन्सी एक्ट की धारा 177 में केवल शर्त भंग करने की स्थिति में खातेदार काश्तकार को बेदखल करने तथा धारा 178 के तहत भूमि के काश्तकारी स्वरूप को क्षति पहुॅचानें की स्थिति में डिक्री जारी होने के तीन माह के भीतर क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने का ही प्रावधान है। उक्त धाराओं के तहत बेदखली की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकारों की समाप्ती हेतु अलग से कार्यवाही की जा सकती है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—06—2011 विधिक प्रावधानों से असंगत होने के कारण अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर